इकाई 7 महिलाओं के विरुद्ध हिंसा : वैष्विक आयाम

इकाई की रूपरेखा

7.1 प्रस्तावना

लक्ष्य और उद्देष्य

7.2 महिलाओं के विरुद्ध हिंसा

7.3 हिंसा की प्रकृति और उसके रूप

7.4 हिंसा के कारण

7.5 हिंसा के प्रकार

7.5.1 घरेलू हिंसा

7.5.2 पत्नी की पिटाई/मारपीट के संलक्षण

7.5.3 महिलाओं का अवैध व्यापार

7.6 सत्ता और नियंत्रण चक्र

7.7 सारांष

7.8 बोध प्रष्न

7.9 कुछ उपयोगी पुस्तकें

7.1 प्रस्तावना

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा एक ऐसी अभिव्यक्ति है जिसका प्रयोग उन सभी हिंसक कार्यों के लिए किया जाता है जो मुख्यतः या सिर्फ महिलाओं के विरुद्ध ही किए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने "महिलाओं के विरुद्ध हिंसा" को परिभाषित करते हुए कहा "लिंग अनुपात हिंसा का ऐसा कार्य है जिसकी परिणति होती है या हो सकती है महिलाओं के शारीरिक, यौन या मानसिक या क्षति अथवा पीड़ा के रूप में/इसमें ऐसे कार्यों का भय भी है जिनमें बल प्रयोग के द्वारा या मनमाने ढंग से स्वतंत्रता से उन्हें वंचित कर दिया जाता है चाहे वह सार्वजनिक जीवन में हो या निजी जीवन में।" महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की समाप्ति पर घोषणापत्र 1993 (Declaration on the Elimination of Violence Against Women) में इस प्रकार की हिंसा के अंतर्गत मारपीट, बच्चों के साथ यौन दुर्व्यवहार, दहेज़ सम्बन्धी हिंसा, बलात्कार, महिलाओं का जननांग छेदन (Genital Mulilation) और महिलाओं के लिए हानिकारक अन्य पारंपरिक प्रथाएँ, पति–पत्नी के रिष्ते से बाहर हिंसा और हिंसा से जुड़ा शोषण, यौन उत्पीड़न, जबरन वेष्यावृत्ति कराना और यौन शोषण शामिल है। ये सब या तो लैगिंक, पारिवारिक सदस्यों यहाँ तक कि स्वयं "राज्य" (सरकार) के आक्रामक रुख के द्वारा होते हैं (संयुक्त राष्ट्र महा सभा, 1993)।

लक्ष्य और उद्देष्य

इस इकाई का अध्ययन करने के बाद आप :

- विकसित और विकासषील देषों में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की प्रकृति को जान सकेंगे;
- सम्पूर्ण विष्वभर में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के कारण की समीक्षा कर सकेंगे;
- सत्ता का चक्र और नियंत्रण को समझा सकेंगे; और

- सभी संस्कृतियों, धर्मों और विष्वासों में महिलाओं के विरुद्ध व्याप्त हिंसा के प्रकारों का आँकलन कर सकेंगे।

7.2 महिलाओं के विरुद्ध हिंसा

कुछ इतिहासकारों का विष्वास है कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का इतिहास महिलाओं को सम्पत्ति समझे जाने के इतिहास और इस बात से जुड़ा है कि महिलाओं को लैगिंक भूमिका प्रदान की गई है वह पुरुषों से निम्नतर हैं और अन्य महिलाओं से भी निचले स्तर की हैं (पेनेलोप हार्वे एवं पीटर गोव, 1994)। दैनिक समाचार पत्रों में एक सरसरी नज़र दौड़ाने से भी यह आँकलन लगाया जा सकता है कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा वैष्विक स्तर पर कितने व्यापक पैमाने पर हो रही है। सम्पूर्ण विष्व में हो रही घटनाओं के कुछ निम्नलिखित उदाहरण हैं:

- हर तीन में से एक महिला के साथ या तो मारपीट की जाती है, या यौन हिंसा की जाती है या अपने जीवन काल में उसको दुर्व्यवहार का षिकार होना पड़ता है। विष्वभर में किए गए 50 सर्वेक्षणों पर आधारित एक अध्ययन के अनुसार महिलाओं के साथ यौन दुर्व्यवहार करने वाला या तो उसके परिवार का सदस्य ही होता है या फिर उसका कोई परिचित।
- हर चार में से एक महिला गर्भावस्था के दौरान यौन दुर्व्यवहार का षिकार होती है।
- साठ मिलियन (6 करोड़) से अधिक महिलाएँ दुनिया भर में "गुम" समझी जाती हैं इसका कारण है मनपसंद लिंग के बच्चों की संभावना न होने पर सुविधाजनक ढंग से गर्भपात, कन्या भ्रूण हत्या आदि। यह नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन के द्वारा किए गए एक आकलन पर आधारित है।
- विष्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organisation - WHO) की रिपोर्ट के अनुसार कुल महिला हत्याओं में 70 प्रतिषत महिलाओं की हत्या उनके अपने पुरुष साथियों द्वारा की जाती है।
- अन्तरवैयक्तिक हिंसा 15 से 44 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं की मृत्यु का एक अन्य प्रमुख कारण है। सन् 1998 में यह आँकड़ा सामने आया था।
- जनसंख्या पर आधारित अध्ययनों से पता चलता है कि 12 से 25 प्रतिषत महिलाएँ अपने जीवन में कभी न कभी अपने अंतरंग साथी या पूर्व साथी के द्वारा बलपूर्वक यौन सम्बन्ध को भुगत चुकी होती हैं या उनके ऊपर इस प्रकार का प्रयास किया गया होता है या बलात् संसर्ग स्थापित किया गया होता है।

यूनिफेम (UNIFEM) रिपोर्ट "ए लाइफ फ्री ऑफ वायलेंस : इट्स आवर राइट" (A Life Free of Violence : It's Our Right) (1998) से पता चलता है कि 3–4 मिलियन (30–40 लाख) महिलाएँ दुनिया भर में प्रतिवर्ष हिंसा का षिकार होती हैं। औद्योगिक देषों में हर 6 में से 1 महिला बलात्कार की पीड़ित होती है और सर्वेक्षण के दौरान पाया गया कि उत्तरदाता महिलाओं में से 16 से 52 प्रतिषत महिलाओं को अंतरंग पुरुष साथियों ने ही प्रताड़ित किया था। इसी रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि प्रत्येक वर्ष भारत में दहेज़ सम्बन्धी हिंसा 5,000 से अधिक महिलाओं का अपना षिकार बनाती हैं।

"दी स्पेषल रिपोटियर ऑन वायलेंस अगेस्ट ऑन दी इष्यू ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस" (The Special Rapporteur on Violence Against Women on the Issue of Domestic Violence) (ब्राजील में हुए घरेलू हिंसा के मुद्दे पर महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का विशेष विवरण) की रिपोर्ट में एक संसदीय आयोग के गठन की बात कही गई है जिसका गठन ब्राजील में सन् 1993 में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की जाँच

पड़ताल करने के लिए किया गया था। इस आयोग ने अपने विश्लेषण में पाया कि महिलाओं के विरुद्ध शारीरिक हिंसा के 88.8 प्रतिषत मामलों में पीड़ित पत्नियाँ थीं।

- केन्या में किस्सी (Kissi) जिले में 42 प्रतिषत महिलाओं ने बताया कि उनकी घरों में नियमित रूप से पिटाई होती है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका में हर नौ सेकण्ड में एक महिला अपने अंतरंग पुरुष साथी के द्वारा शारीरिक रूप से प्रताड़ित की जाती हैं।
- यू.के. में हर दस में से एक महिला की किसी अंतरंग पुरुष साथी द्वारा गंभीर रूप से पिटाई की जाती है।
- कनाडा के अध्ययन के अनुसार महिलाओं की हत्या की आषंका किसी अजनबी व्यक्ति के बजाय उसके अंतरंग पुरुष साथी के द्वारा किए जाने की अधिक होती है।

और, भारत में, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (National Crime Records Bureau - NCRB) के 2005 के अपराध आँकड़ों के अनुसारः

- महिलाओं के विरुद्ध एक अपराध हर तीन मिनट बाद होता है।
- हर 15 मिनट में एक छेड़छाड़ की घटना होती है।
- हर 53 मिनट में एक यौन उत्पीड़न की घटना होती है।
- हर 23 मिनट में एक अपहरण और नाबालिंग को बंधक बनाने की घटना होती है।
- हर 29 मिनट में एक बलात्कार की घटना होती है।

ये आँकड़े केवल दर्ज़ कराई गई रिपोर्ट और लिखित ब्यौरों पर ही आधारित हैं। यही नहींः

- भारत में हर 10 महिलाओं में से 4 महिलाएँ घर पर हिंसा की षिकार हो चुकी होती हैं।
- 45 प्रतिषत महिलाएँ कम से कम एक बार अपने जीवन में शारीरिक या मनोवैज्ञानिक हिंसा की षिकार होती हैं।
- 26 प्रतिषत महिलाओं ने कम से कम हल्की शारीरिक हिंसा तो एक बार ज़रूर सही होती है।
- 50 प्रतिषत से भी अधिक गर्भवती महिलाएँ गंभीर हिंसक शारीरिक चोट सहन की होती हैं।

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (NCRB) के अनुसार लगभग 6000 महिलाओं की भारत में प्रति वर्ष दहेज़ के कारण हत्या कर दी जाती है। ग़ैर सरकारी आँकड़ों के अनुसार यह मृत्यकों की संख्या प्रतिवर्ष 15,000 है। दूसरे शब्दों में, 16 से 40 वर्ष की कुछ महिलाएँ हर वर्ष दहेज़ हत्या का षिकार होती हैं।

ये आँकड़े स्तब्धकारी हैं। ये आँकड़े वास्तव में जमीनी हकीकत से बहुत कम हैं क्योंकि महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में बहुत से अपराधों की रिपोर्ट ही नहीं दर्ज़ कराई जाती है। भारत में सन् 2001 की जनगणना के अनुसार 49,65,14,346 बच्चियाँ और महिलाएँ हैं। यदि वे सभी वर्ष में एक बार भी यौन उत्पीड़न की षिकार हों और वे इसकी रिपोर्ट दर्ज़ कराएँ तो आँकड़े बहुत स्तब्धकारी होंगे।

निस्संदेह महिलाओं के विरुद्ध हिंसा पारंपरिक किस्म की पिटाई, बलात्कार अथवा हत्या जैसे मामलों तक सीमित नहीं हैं। उत्पीड़न के तरह–तरह के नए रूप या तरीके लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हिंसा की शुरुआत जन्म होने के पहले से भी हो जाती है और जीवन भर चलती रहती हैं। हिंसा के अनेक ऐसे रूप हैं जिनसे महिलाओं के आत्मसम्मान और गरिमा के साथ जीवन जीने के अधिकारों का

उल्लंघन होता है। इनमें शामिल हैं बलात्कार, वर्जित यौन सम्बन्ध, घरेलू हिंसा, सती प्रथा (विधवाओं को पति की मृत्यु पर चिता में जिंदा जला देना), कन्या षिषु हत्या, कन्या भ्रूण हत्या, महिलाओं का व्यापार, यौन उत्पीड़न, छेड़खानी, यौन दुर्व्यवहार, डायन बताकर प्रताड़ित करना या मार देना दहेज़ हत्याएँ, इज्ज़त के नाम पर हत्या, महिलाओं का जननांग छेदन, पैरों से अपंग बनाना, तेज़ाब फेंकना, महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाने की बढ़ती घटनाएँ आदि हैं। यह सूची बहुत लम्बी हो सकती है। अव्यक्त महिला व्यक्त हिंसा से कहीं अधिक है जो आमतौर पर भेदभाव, अधीनता और महिलाओं की उपेक्षा के रूप में सामने आती हैं। यह एक तथ्य है कि अव्यक्त हिंसा बहुत अधिक व्यक्त है क्योंकि उसकी पहचान और आकलन असंभव है और यह दिखाई नहीं देती।

दक्षिण एषियाई महिलाओं की प्रगति, 2005 में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को विभिन्न श्रेणियों में बाँटा गया है जो इस प्रकार हैं:

- प्रकट शारीरिक उत्पीड़न (मारपीट, यौन उत्पीड़न – घर और कार्य स्थल पर) और मानसिक उत्पीड़न।
- महिला श्रम का शोषण (श्रम के बदले वेतन न देना या कम वेतन देना और औपचारिक क्षेत्रों में उनको देय लाभ देने से इंकार करना, घरों में लैगिंक आधार पर काम का बँटवारा जिससे महिलाओं पर कई गुना काम का बोझ पड़ जाता है)
- शारीरिक सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए महिलाओं की संसाधन की प्राप्ति और उन पर नियंत्रण से वंचित रखना और उन्हें दूसरों पर निर्भर बनाए रखना (इनमें हैं स्वास्थ्य/पालन पोषण, षिक्षा, उत्पादन के साधन)
- सांस्कृतिक एवं धार्मिक प्रथाओं के माध्यम से दमन (सती, इज्ज़त के लिए हत्या आदि)
- महिलाओं को वस्तु के रूप में पेष करना (व्यापार, वेश्यावृत्ति, अष्लीलता)।

पॉल वैली का मत है कि "कुछ ऐसी बाते हैं जो महिलाओं के लिए प्राण घातक हो सकती हैं – साज श्रृंगार करना, सिनेमा देखने जाना, च्युंगगम खाना, सड़क पर पानी पीना, पुरुष पड़ोसी से बात करना, फोन पर बात करना, अलग नस्ल के व्यक्ति से बात करना, किसी पुरुष प्रसारक से रेडियो पर फरमाइषी गाना पेष करने के लिए कहना; प्रेम कविताएँ प्रकाषित करवाना, माता–पिता की राय से किए गए विवाह करने से मना करना; तलाक की माँग करना; बलात्कार का षिकार होना; एक अनुपयुक्त पुरुष मित्र रखना; या गर्भवती हो जाना।" वे आगे कहते हैं "हर वर्ष 5,000 महिलाओं की दुनिया भर में, उनके रिष्तेदारों द्वारा इज्जत के नाम पर हत्या कर दी जाती है क्योंकि उन्होंने अपने परिवार की इज़्जत को शर्मसार कर दिया।" यद्यपि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के मूल कारण को समझना उतना आसान नहीं। कारण बहुत जटिल हैं और उनको रेखांकित करना कठिन है क्योंकि यह समाज की संरचना में ही रचा बसा है यहाँ तक कि स्वयं महिलाएँ इसका अंग बन गई हैं।

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की समाप्ति की संयुक्त राष्ट्र घोषणा में "असमान शक्ति सम्बन्ध" को महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का मुख्य कारण माना गया है। इन्हीं "षक्ति सम्बन्धों" के कारण ही "पुरुषों द्वारा महिलाओं पर आधिपत्य और उनके शोषण और महिलाओं के पूर्ण विकास को रोका जाता है और महिलाओं के विरुद्ध यह हिंसा एक निर्णायक सामाजिक तंत्र के रूप में सामने आती है जिसके द्वारा पुरुषों की तुलना में महिलाओं को जबरन अधीनता स्वीकार कराई जाती है।"

इन अपराधों में बलात्कार, छेड़छाड़, यौन उत्पीड़न, हत्या और दहेज़ हत्या आदि की खबरें, डकैती, आगजनी या जालसाजी आदि से अधिक सामने आती हैं। जितनी तीव्रता के साथ और बार–बार

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा भारत में हो रही है वह भारत में "आतंकवादी" आक्रमणों से कम नहीं हैं। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा तब अधिक ख़तरनाक हो जाती है जब राज्य (सरकार) कई बार महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को यह समझकर उपेक्षा कर देती हैं कि जैसे कोई बात परिवार के "निजी" दायरे में हुई हैं या उसका कोई "सार्वजनिक" महत्व नहीं है और इस लिए इसमें सरकारी हस्तक्षेप की आवष्यकता नहीं है।

किसी महिला के साथ केवल इस लिए अत्याचार होता है कि वह महिला है। इसका अर्थ यह है कि उसकी लैगिंकता के कारण ही उसके साथ अत्याचार होता है। उदाहरण के लिए, किसी महिला को घरेलू हिंसा का षिकार इसलिए होना पड़ता है कि वह पत्नी की "पारंपरिक" भूमिका नहीं निभा पा रही है। यदि किसी महिला को महिला के रूप में अत्याचार का षिकार बनाया जाता है तो यह यौन/लैगिंकता पर आधारित अत्याचार का एक रूप है। जैसे बलात्कार लैगिंकतापरक ही है। यद्यपि, पुरुषों के साथ भी बलात्कार होता है किन्तु मुख्यतः महिलाएँ हैं यौन रूप से लिंग प्रवेष का षिकार होती हैं। लैगिंकता को एक जोखिम भरा कारक माना जाता है जिससे समान परिस्थिति में पुरुषों की तुलना में महिलाओं को अत्यधिक भय किसी अत्याचार या उत्पीड़न का होता है।

7.3 हिंसा की प्रकृति और उसके रूप

हिंसा की प्रकृति और उसके रूप शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक स्तरों पर एक–दूसरे से जुड़े हैं। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा में निम्नलिखित तत्त्व शामिल हैं किन्तु इसे इन तत्त्वों तक ही सीमित नहीं माना जा सकता हैः

मनोवैज्ञानिक हिंसा

किसी महिला के आत्मविष्वास को कम करने या उसको अपने कब्जे या घेरने की विभिन्न युक्तियाँ इनमें शामिल हैं जैसे डाँटना, अपमान, मज़ाक उड़ाना, धमकी, अभद्र भाषा का प्रयोग, लज्जित करना, उत्पीड़न, अवज्ञा और भावनात्मक देखभाल जानबूझकर नकारना या अलगाव रखना है।

शारीरिक हिंसा

इसमें सबसे अधिक होने वाली घटनाएँ धक्का–मुक्की करना, मारने की धमकी देना, मारपीट, हथियारों द्वारा शारीरिक उत्पीड़न, तंग करना, अंगविच्छेदन और हत्या करना है।

यौन हिंसा

बिना सहमति के किसी भी प्रकार का बनाया जाने वाला यौन सम्बन्ध (जो किसी व्यक्ति के साथ जबरदस्ती किया जाता है) जिसमें उत्पीड़न, अवांछित यौनपरक स्पर्ष से लेकर बलात्कार तक शामिल हैं। इस प्रकार की हिंसा में वर्जित यौन सम्बन्ध स्थापित करना भी शामिल हैं।

वित्तीय हिंसा

इसमें पति–पत्नी (दम्पत्ति) की कुल या आंषिक आय पर नियंत्रण के विभिन्न तरीकों को शामिल किया जाता है। इसमें उसके वित्तीय, पैतृक या रोज़गार से प्राप्त आय को शामिल किया जाता है। इसमें उसके साथी को घर से बाहर रोज़गार करने से रोकना या इस तरह का कोई कार्य करने से रोकना। जिससे वित्तीय स्वतंत्रता मिल सके।

आध्यात्मिक अत्याचार

किसी व्यक्ति के सांस्कृतिक या धार्मिक विष्वासों को अशिष्टता या दण्ड, व्यक्तिगत धार्मिक व्यवहार पर रोक या महिलाओं और बच्चों को अपने धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म की परंपराओं का पालन करने के लिए मज़बूर करना।

भयभीत करना

हिंसा के एक रूप की तरह भयभीत करने की प्रक्रिया में महिलाओं को देखने (घूरने), कार्यों और शारीरिक मुद्राओं से, उनकी सम्पत्ति को नष्ट करने और हथियार दिखाकर भयभीत करना शामिल हैं।

अलग थलग करना (Isolation)

महिलाओं को अलग–अलग करके उन्हें सीमा और नियंत्रण में रखा जाता है। वे क्या करती हैं, किसे देखती है और कहाँ जाती हैं – इन बातों पर निगरानी रखी जाती हैं।

विशेषाधिकार का प्रयोग

नियंत्रण में रखने के लिए विशेषाधिकार का प्रयोग भी एक प्रकार की हिंसा है। किसी महिला या बच्चे को नौकर समझना और हर बात पर आखिरी आदेष जैसी बात करना और अभद्रता करने वाला मालिक जैसा व्यवहार करना। वह महिला–पुरुष की पारंपरिक भूमिका से परिभाषित होता है और उसका कड़ाई से पालन करता है।

सभी तरह की हिंसा में खून खराबा हो, यह आवष्यक नहीं है। यह बहुत सूक्ष्म स्तर पर भी हो सकती है। कोई व्यक्ति अपनी शारीरिक मुद्राओं, गलत टिप्पणियों या हाथों से अष्लील इषारों के द्वारा, सीटी बज़ाकर या एक दूसरे से मज़ाक करके यह कर सकता है। यदि यह क्षणिक भी हो तो भी इसका असर बना रहता है। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और यौनात्मक रूपों में हो सकती हैं। इस प्रकार उपर्युक्त कोटियाँ एक–दूसरे से मिलती हैं और उनका सुनिष्चित वर्गीकरण नहीं हो सकता है। यह आवष्यक नहीं है कि प्रत्यक्ष हिंसा हमेषा शारीरिक स्तर पर ही हो अपितु यह वंचित कर देना, उपेक्षा या भेदभाव के द्वारा अभिव्यक्त होती है। उदाहरण के लिए, किसी अंतरंग पुरुष मित्र द्वारा शारीरिक हिंसा सदैव यौन हिंसा, वंचित करना, अलग–थलग करना, उपेक्षा और मनोवैज्ञानिक रूप से दुर्व्यवहार करना होता है।

7.4 हिंसा के कारण

संयुक्त राष्ट्र में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के छः कारणों को रेखांकित किया हैः

- **ऐतिहासिक रूप से असमान सत्ता सम्बन्ध (Historically unequal power relations)**: सदियों से विकसित हुई राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रक्रियाओं ने पुरुषों का महिलाओं पर आधिपत्य स्थापित किया है।

- **महिलाओं की यौन भावना पर नियंत्रण (Control of Women's Sexuality)**: बहुत से समाजों ने हिंसा को महिलाओं की यौन भावना पर नियंत्रण रखने के लिए इस्तेमाल किया है। इसी तरह अनेक समाजों में महिलाओं को अपने यौन व्यवहार दिखाने, सांस्कृतिक मर्यादाओं की प्राथमिकता, और दृष्टिकोण के कारण दण्डित करने के लिए हिंसा का सहारा लिया जाता है।

- **सांस्कृतिक विचारधारा (Cultural Ideology):** संस्कृति लैगिंक भूमिका को निर्धारित करती है और कुछ प्रथाओं, परम्पराओं और धर्मों को तब महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को सही ठहराए जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जब वे सांस्कृतिक रूप से प्रदत्त इन भूमिकाओं का अतिक्रमण करती हैं।
- **निजता की अवधारणा (Doctrines of Privacy):** अनेक समाजों में यह विष्वास व्याप्त है कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा निजी मामला है। यह भावना हिंसा को समाप्त करने के प्रयत्नों को क्षति पहुँचाती है।
- **संघर्ष समाधान का ढाँचा (Patterns of Conflict Resolution):** घर और समाज में विवादित मुद्दों या उग्र मुद्दों और महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के बीच सम्बन्ध स्थापित किए गए हैं। प्रायः घरों में असुरक्षा के बढ़ते कारकों से घर और परिवार में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को बल मिलता है। इसके साथ ही यह बात देखी जाती है कि लोगों का ध्यान केवल संघर्ष पर ही जाता है अतः महिलाओं की यातना पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को औपचारिक सैन्य तरीके के रूप में प्रायः इस्तेमाल किया जाता है।
- **सरकारी निष्क्रियता (Government Inaction):** महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को रोकने और उसको समाप्त करने में सरकार की लापरवाही से पूरे समाज में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के प्रति सहनषीलता का भाव पैदा हो जाता है।

7.5 हिंसा के प्रकार

7.5.1 घरेलू हिंसा

सार्वजनिक जीवन में घरेलू हिंसा की परिघटनाएँ सर्वाधिक व्याप्त हैं किन्तु इस प्रकार की हिंसा पर किसी का कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता वह अदष्ष्य है। यह घर में समानता का व्यक्त करती है, आम धारणा के विपरीत अंतरंग पुरुष साथियों द्वारा महिलाओं पर की जाने वाली हिंसा न तो किसी एक सामाजिक क्षेत्र विशेष तक सीमित है न ही वह शारीरिक हिंसा तक सीमित है। इस प्रकार की हिंसा को " अंतरंग साथी द्वारा हिंसा" (Intimate Partner Violence - IPV) कहा जाता है। घरेलू हिंसा विभिन्न रूपों में व्यक्त होती है – शारीरिक, भावनात्मक, यौनपरक, आर्थिक, जबानी आदि और महिला को इनमें से किसी एक, दो या सभी प्रकार की हिंसा का सामना करना पड़ सकता है। महिला हिंसा के चक्र में पुत्री के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, माँ के रूप में, संगिनी के रूप में और अपने जीवन में एकाकी महिला के रूप में फंसकर इसका सामना करती हैं।

घरेलू हिंसा हमेषा शारीरिक हिंसा ही नहीं होती है। इसमें इस प्रकार के व्यवहार भी शामिल हैं जिससे मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है या भयभीत करके अथवा बलपूर्वक अपने वर्चस्व को बनाए रखने और उस पर नियंत्रण रखने के लिए किया जाता है। नाम लेना, लज्जित करना, लगातार आलोचना करना, किसी महिला को उसके मित्रों या परिवार से दूर करना, अत्यधिक द्वेष रखना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रतिबंध और घर की वित्तीय व्यवस्था पर पूरा नियंत्रण रखना और शारीरिक रूप से चोट पहुँचाने की धमकी देना आदि बातें भी अत्याचारपूर्ण सम्बन्धों की सूचक हैं। इस प्रकार का अत्याचार रोज रोज हो या हर सप्ताह हो तभी उसे घरेलू हिंसा में शामिल किया जाए यह आवष्यक नहीं। महिलाओं के विरुद्ध होने वाली समग्र हिंसा में घरेलू हिंसा के प्रभाव को इस उदाहरण से समझा जा सकता है कि 40–70 प्रतिषत तक होने वाली महिलाओं की हत्या उनके पति या पुरुष मित्र द्वारा की जाती हैं। अविवाहित सम्बन्धों में इसे प्रायः "डेटिंग" हिंसा (यौन संसर्गात्मक) कहा जाता है जबकि विवाहित स्थितियों में इसे घरेलू हिंसा कहा जाता है।

यद्यपि, इस प्रकार की हिंसा को प्रायः विपरीत लिंगी (पति–पत्नी आदि) सम्बन्धों के संदर्भ में एक मुद्दे के रूप में पेष किया जाता है किन्तु यह समलैगिंक महिलाओं के बीच भी होता है, माँ–बेटी में होती है, सह अन्तवासियों (एक कमरे में रहने वाली महिलाओं) और अन्य घरेलू सम्बन्धों में होती हैं, जहाँ दो महिलाएँ एक साथ होती हैं। समलैगिंक महिलाओं के बीच हिंसा उतनी ही आम बात है जितनी विपरीत लिंगी अर्थात महिला– पुरुष के बीच होने वाली हिंसा (गिरसिक, लोरी, बी, 1500–1520)। महिलाओं के विरुद्ध महिलाओं के द्वारा की जाने वाली हिंसा हिंसा के दायरे से बाहर भी सामने आती है। संभवतः इस विषय पर कम अध्ययन किया गया है। घरेलू हिंसा लिंग आधारित हिंसा का सर्वाधिक आम रूप है। हर देष में जहाँ भी बड़े पैमाने पर विष्वसनीय अध्ययन हुए हैं उनमें पाया गया है कि 10 से 69 प्रतिषत महिलाएँ बताती हैं कि उनके जीवन काल में अंतरंग पुरुष साथी ने शारीरिक रूप से उन्हें प्रताड़ित किया है (हेसर, एल, एल्सवर्ग एम., गॉटमोलर, एम, 1999)।

"घरेलू हिंसा का विवरण : एक बहुराष्ट्रीय अध्ययन" (Profilling Domestic Violence : A Multi-Country Study) (कल्वर्टन, मेरीलैण्ड) से पता चलता है कि घरेलू हिंसा जांबिया में 48 प्रतिषत, कोलंबिया में 44 प्रतिषत, पेरु में 42 प्रतिषत, मिश्र में 34 प्रतिषत, निकारागुआ में 30.5 प्रतिषत, हैती में 20 प्रतिषत, डोमेनियन रिपब्लिक में 22 प्रतिषत, भारत में 19 प्रतिषत, कम्बोडिया में 17 प्रतिषत होती हैं। निम्न चार्ट द्वारा इसे प्रदर्षित किया जा रहा है।

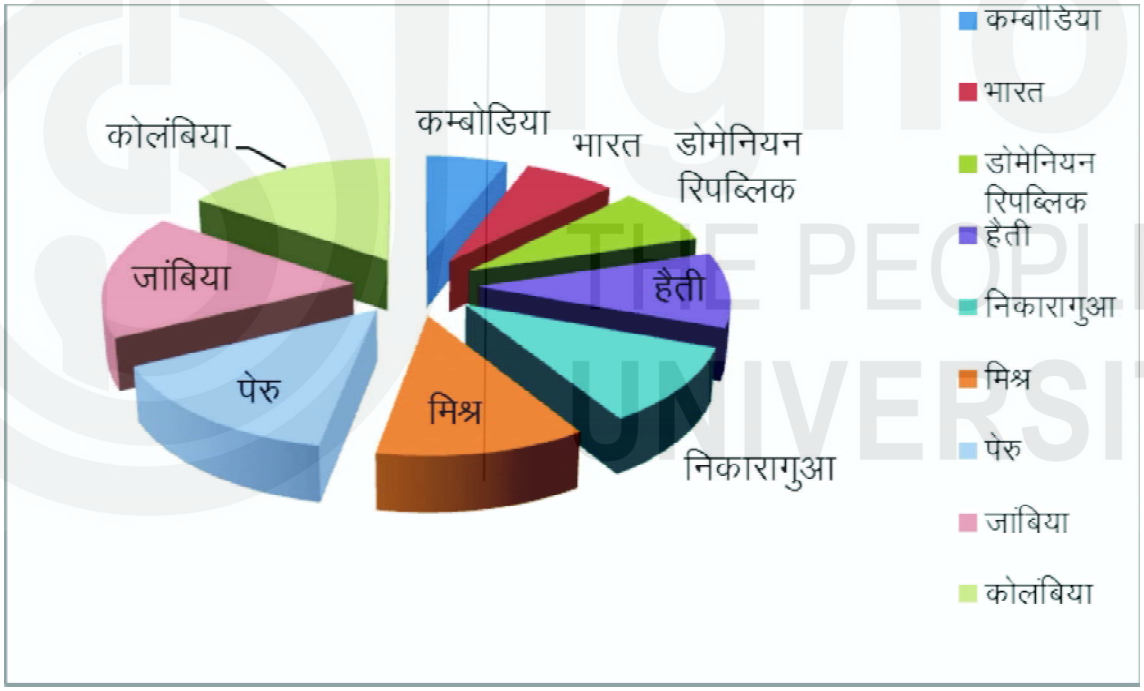

चित्र 7.1 : विभिन्न देषों में घरेलू हिंसा का प्रकटीकरण

टिप्पणी: 15–49 वर्ष के आयु वर्ग की महिलाओं का प्रतिषत जिनकी उनके जीवन में कभी–न–कभी पुरुष साथी या पति ने पिटाई की – इनमें धक्का देना, थप्पड़ मारना, लात मारना या शारीरिक चोट पहुँचाना भी शामिल हैं।

स्रोत: *किषोर, एस. एवं के. जॉनसन, 2004*

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के अध्ययनों से निम्न प्रकार का निष्कर्ष निकलता है कि :

- महिलाओं के विरुद्ध हिंसा करने वाले प्रायः पुरुष ही होते हैं।
- अंतरंग सम्बन्धों में शारीरिक प्रताड़ना के साथ हमेषा ही गाली–गलौच या भयावह मनोवैज्ञानिक पीड़ा पहुँचाई जाती हैं। घरेलू हिंसा के हर चार में से एक मामले में महिला को यौन उत्पीड़न का भी षिकार होना पड़ता है।

- महिलाओं के परिचित पुरुषों से हिंसा का षिकार होने की संभावना सबसे अधिक रहती है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इज़रायल, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका में 40–70 प्रतिषत महिलाओं की हत्या उनके साथियों द्वारा की जाती है (क्रुग, और अन्य, (संपादक), 2002)

7.5.2 पत्नी की पिटाई/मारपीट के संलक्षण

घरों के भीतर हिंसा सभी संस्कृतियों, धर्मों, वर्गों, नृजातीयताओं आदि में सार्वभौमिक रूप में देखी जाती हैं। इस प्रकार की प्रताड़ना को आमतौर पर सामाजिक परम्पराओं में छूट दी जाती है और उसे वैवाहिक जीवन का एक हिस्सा मान लिया जाता है। एक स्पेनिष मज़ाक के उदाहरण के माध्यम से इसे समझा जा सकता है। **प्रष्नः** "खच्चरों और महिलाओं में क्या समानता है?" **उत्तरः** अच्छी तरह पिटाई की जाए तो दोनों सुधर जाते हैं।

बहुत से महिला–पुरुष मानते हैं कि पत्नी की पिटाई जायज़ है। घरेलू हिंसा, बलात्कार और अन्य प्रकार के अत्याचार में एक शर्मनाक बात यह है कि महिला या महिलाओं द्वारा अक्सर इसे चुपचाप सह लेती हैं क्योंकि वे इसके परिणाम और कलंक से डर जाती हैं और किसी को कभी भी कुछ नहीं बताती हैं।

इस संदर्भ में आँकड़े बताते हैं कि विकसित और विकासषील दोनों ही प्रकार के देषों में वास्तविक तस्वीर कितनी भयावह है। संयुक्त राज्य अमेरिका में हर 18 मिनट के औसत से एक महिला की पिटाई होती है। हर वर्ष 3 से 4 मिलियन (30 से 40 लाख) महिलाओं के साथ मारपीट की जाती है किन्तु 10 में से एक मामला ही पुलिस में दर्ज़ कराया जाता है। यू.के. में 3 में 1 परिवार प्रताड़ना का षिकार होते हैं और 5 पीड़ितों में से एक गंभीर रूप से चोट पहुँचाने का षिकार होती हैं। यह वहाँ के गृह विभाग के ताज़ा आँकड़ों पर आधारित है। ऑस्ट्रेलिया में 1500 तलाक के मामलों में 59 प्रतिषत मामलों में पत्नी की पिटाई को विवाह–विच्छेद का कारण बताया गया है।

भारत में राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आँकड़ों से एक भयावह सच्चाई सामने आई है जिसमें प्रताड़ना और दहेज़ हत्याओं में 71.5 प्रतिषत की बढ़ोतरी देखी गई है। बांग्लादेष में दर्ज़ हत्याओं के 170 मामलों में से आधे मामलों में हत्याएँ घर की चार दीवारों के भीतर हुई थीं।

विष्व स्वास्थ्य संगठन की हिंसा और स्वास्थ्य पर रिपोर्ट, 2002 से साफ ज़ाहिर होता है कि घरेलू हिंसा में सहायता माँगने वाली महिलाओं को शारीरिक उत्पीड़न का बहुत अधिक षिकार होना पड़ा (वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन वायलेंस एंड हैल्थ, जेनेवा, डब्ल्यू एच ओ, 2002)।

हिंसा के अन्य व्यापक रूप से प्रचलित रूपों का भी भयानक दुष्प्रभाव पड़ रहा हैः

- व्यवस्थित ढंग से बलात्कार, युद्ध के हथियार के रूप में किया जाने वाला इस बलात्कार का षिकार लाखों महिलाओं और किषोरियों को होना पड़ा है। उसकी यातना वे सह रही हैं। जबरन उनहें गर्भवती बनाया गया या एच.आई.वी./एड्स से संक्रमित हुईं (ह्यूमन राइट्स वॉच, 2002)

- एषिया में कम से कम 60 मिलियन (6 करोड़) लड़कियाँ "गुम" हैं (एक अवधारणा जिसमें कन्या षिषु को जन्म लेने ही नहीं दिया जाता या कुपोषण के कारण वे मर जाती हैं)। उसका कारण गर्भस्थ षिषु का लिंग परीक्षण कराकर गर्भपात, भ्रूण हत्या या उपेक्षा (यू.एन.एफ.पी.ए.)

- महिला जननांग छेदन/भगोष्ठ को काटना आदि 130 मिलियन (13 करोड़) महिलाएँ और लड़कियाँ इसकी षिकार हुई हैं। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा अन्य कुप्रथाओं में भी देखी जाती है – बाल विवाह, इज्जत के नाम पर हत्या, तेज़ाब फेंककर जलाना, दहेज़ से जुड़ी हिंसा, विधवा उत्तराधिकार और नरसंहार (इनमें दोनों एच.आई.वी. जोखिम को बढ़ाते हैं) (वाट्स एंड जीमारमैन, 2002)।

7.5.3 महिलाओं का अवैध व्यापार

जबरन वेश्यावृत्ति कराना, यौन कार्यों के लिए महिलाओं का अवैध व्यापार और यौन पर्यटन (Sex Tourism) बढ़ती हुई समस्याएँ प्रतीत होती हैं। एक अनुमान के अनुसार प्रति वर्ष लगभग 8,00,000 लोग सीमा पार अवैध रूप से लाए जाते हैं। उनमें से 80 प्रतिषत महिलाएँ एवं लड़कियाँ होती हैं। उनमें से अधिकतर यौन अवैध व्यापार में धकेल दी जाती हैं। इस संख्या में महिलाओं एवं लड़कियों की भारी संख्या को शामिल नहीं किया गया है जो अपने ही देषों में खरीदी और बेची जाती हैं क्योंकि उनके आँकड़े बहुत कम उपलब्ध हैं (यूनाइटेट स्टेट्स, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, 2005)।

महिला अवैध व्यापार की करीब–करीब दुनिया के सभी हिस्सों से रिपोर्ट आती हैं। इनमें सबसे अधिक पीड़ित महिलाएँ एषिया में हैं। इस तरह का अनुमान लगाया जाता है कि इनकी संख्या प्रतिवर्ष लगभग 25,000 है इसके बाद पूर्व सोवियत संघ (लगभग 1,00,000) (अन्तर्राष्ट्रीय प्रव्रजन संगठन (International Organisation for Migration - IOM) कोसोवा, और मध्यपूर्व यूरोप – लगभग 1,75,000) हैं। एक अनुमान के अनुसार 1,00,000 महिलाओं से अधिक अफ्रीका में होती हैं (अन्तर्राष्ट्रीय प्रव्रजन संगठन 2001)। युद्ध, विस्थापन और विभिन्न देषों के बीच एवं देष के भीतर आर्थिक एवं सामाजिक असमानताएँ और सस्ते श्रमिकों और यौन कर्मियों की माँग से महिलाओं के इस अवैध व्यापार में तेज़ी आती है (वाट्स एंड जीमारमैन, 2002)।

7.6 सत्ता और नियंत्रण चक्र

विकसित और विकासषील देषों में सत्ता एवं नियंत्रण चक्र के विषय में विभिन्न कारणों और रूपों और विभिन्न अध्ययन के द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों को देखने के बाद यह कहा जा सकता है कि सत्ता एवं नियंत्रण चक्र की अभिव्यक्ति महिलाओं को प्रताड़ित करने का सर्वाधिक आम तरीका है। इस चक्र या पहिए की धुरी इन सभी तरीकों का अभिप्राय है – सत्ता एवं नियंत्रण स्थापित करना। इस पहिए की हर तिली एक विशेष युक्ति को व्यक्त करती है। इनमें आर्थिक स्तर पर शोषण, भावनात्मक अत्याचार, अलग–थलग करना, आदि शामिल हैं। इस पहिए की रिम है शारीरिक उत्पीड़न जो इसे मज़बूत बनाती है और इन सभी प्रकार के अत्याचारों को एक साथ जोड़ती है।

मारपीट को वैयक्तिक अत्याचार की एकाकी घटना तक ही सीमित नहीं किया जा सकता है अपितु इनमें अत्याचार का एक व्यापक तंत्र और सामुदायिक संस्थाएँ शामिल हैं जो महिलाओं पर अत्याचार का समर्थन करते हैं। उत्पीड़न पर आधारित सम्बन्धों में शारीरिक उत्पीड़न चाहे कभी–कभी ही होता है। पर किन्तु उत्पीड़न करने वाला रोज़ इस तरह के अत्याचारपूर्ण तरीके अपनाता है जो इस व्यापक व्यवस्था का निर्माण करते हैं।

जो पुरुष अपनी पत्नियों (महिला मित्रों) की पिटाई करते हैं वे किसी प्रदत्त स्थिति में अत्याचार का कौन–सा तरीका सही होगा। इसका विचार करके, अपनी मानसिक अवस्था को देखकर, या जिस परिवेष में वे अपने साथी पर नियंत्रण का प्रयास करना चाहते हैं उसमें उनकी संगिनी किस प्रकार का व्यवहार करेगी – इन सभी बातों पर विचार करके वे अत्याचार के उपयुक्त तरीके का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए, कोई अत्याचारी एकांत में हिंसा का प्रयोग करें किन्तु सार्वजनिक स्थलों पर एक खास तरह का संकेत करे या धमकी देने वाली मुद्रा दिखाएँ या अपमानजनक टिप्पणी करें। उत्पीड़क ऐसे तरीकों का इस्तेमाल न केवल किसी खास माँग पर अपनी संगिनी के समर्पण कराने में कामयाब होने अपितु ऐसा सम्बन्ध स्थापित करने के लिए भी करता है जो भविष्य में भी कारगर हो सके। ये तरीके कोई भी हो सकते हैं और उनकी व्याख्या नहीं की जा सकती किन्तु किसी सम्बन्ध के मामले

में वर्चस्व स्थापित करने के लिए कोई भी हिंसात्मक तरीका पूरी तरह से विश्लेषण के योग्य हो जाता है।

7.7 सारांश

आखिर में "जॉन स्टुआर्ट मिल के इस कथन का उल्लेख किया जा सकता है ".... पति चाहे जितना भी बर्बर या तानाषाह हो पत्नी अपने को सौभाग्यषाली समझते हुए दावा करेगी कि वह कठोर है और वह यह जानती है कि उसका पति उससे नफ़रत करता है और उसे रोज़ उत्पीड़न का प्रसाद मिलता हो फिर भी वह (पति) कभी यह नहीं सोच सकता कि उसकी पत्नी उससे घृणा करेगी और वह उस पर वर्चस्व का दावा करेगा और निम्नतम स्तर का मानवीय व्यवहार वह उसके साथ करता है उसकी प्रवृत्ति के विपरीत उसे पाषविक व्यवहार का उपकरण बनाया जाता है।"

जहाँ भी विष्वसनीय और बड़े पैमाने पर अध्ययन हुए हैं उन सभी देषों में जो अध्ययन हुए हैं उन अध्ययनों के परिणाम सामने आए हैं उन अध्ययनों के अनुसार 15 से 52 प्रतिषत महिलाओं का उत्पीड़न उनके पतियों/मित्रों द्वारा किया जाता है। इन अध्ययनों से यह भी पता चलता है कि महिलाओं के विरुद्ध व्यापक हिंसा नैतिकता का एक महत्वपूर्ण कारण विकृति एवं नैतिकता है। जैसा कि हमने इस इकाई में चर्चा की गई है इन शारीरिक हमलों में बलात्कार या यौन हिंसा शामिल हैं। मनोवैज्ञानिक हिंसा में गाली–गलौज़, उत्पीड़न, एकान्त वास (या कैद में रखना) और शारीरिक, वित्तीय और मनोवैज्ञानिक हमलों से वंचित करना इत्यादि शामिल हैं। कुछ महिलाओं के लिए भावनात्मक उत्पीड़न शारीरिक हमलों से अधिक पीड़ादायक हो सकता हैं क्योंकि वे प्रभावी तरीके से महिलाओं की सुरक्षा और आत्मविष्वास को कम करते हैं।

7.8 बोध प्रष्न

1) महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के मुख्य कारण कौन–से हैं?
2) महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के विभिन्न रूपों की चर्चा कीजिए।
3) निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिएः
   क) घरेलू हिंसा
   ख) सत्ता और नियंत्रण चक्र

7.9 कुछ उपयोगी पुस्तकें

वॉलस्टोनक्राफ्ट, एम., जी.एन.एस. रीडिंग पैकेजः ए विन्डिकेषन ऑफ दि राइट्स ऑफ वीमेन, यूनिवर्सिटी ऑफ केलग्रे प्रेस, कैल ग्रे, 1972

फॉस्टर, पी., "इंडिया क्रैक्स डाउन ऑन सेक्स सलेक्षन", *कैलग्रे हेराल्ड*, 20 मार्च 2006

संयुक्त राष्ट्र महासभा, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की समाप्ति पर घोषणापत्र (ए/आर.ई.एस./48/104) संयुक्त राष्ट्र, न्यू यॉर्क, 1993, 48/104

गिरसिक, लोरी, बी, "नो शुगर, नो स्पाइस : रिफलेक्षंस ऑन रिसर्च ऑन वीमेन–टू–वीमेन सेक्सअल वायलेंस", *वायलेंस अगेंस्ट वीमेन,* खंड 8, सं. 12, दिसम्बर 2002, पृ. 1500–1520

डवोरकिन, अन्डेरा, स्केपगोट : दि ज्यूज, इजरायल एंड वीमेन'स लिबरेषन, फ्री प्रेस, न्यूयॉर्क, 2000, पृ.316

कोयामा, इमी. "डिसलॉयल टू फेमिनिज्म : एब्यूज ऑफ सर्वा इवर्स विदिन दि डोमेस्टिक वायलेंस शेल्टर सिस्टम" इन स्मिथ ए. रिची, बी.ई. सडबरी जे. (संपा.), *दि कलर ऑफ वायलेंस, आई एन सी आई टी ई, एंथोलॉजी,* साउथ एण्ड प्रेस, कैम्ब्रिज, मेस्टसेट, 2006

पेनेलोप हार्वे एवं पीटर गोव, *सेक्स एंड वायलेंस : इष्यूज इन रिप्रंजेन्टेषन एंड एक्सपीरियंस,* रुटलेज, न्यूयार्क, 1994

वाट्स, सी. एवं सी. जिमेरयान, "वायलेंस अगेन्स्ट वीमेन : ग्लोबल स्कोप एंड मैग्नीट्यूड" *दि लैंकसेंट,* खंड 359, अप्रैल 6, 2002

अन्तर्राष्ट्रीय प्रव्रजन संगठन (International Organisation for Migration - IOM), न्यू अन्तर्राष्ट्रीय प्रव्रजन संगठन फीगर ऑन दी ग्लोबल स्केल ऑफ ट्रैफिकिंग, ट्रैफिकिंग इन माइग्रेण्ट क्वार्टरली बुलेटिन, आई ओ एम, जिनेवा, 2001

यूनाइटेट स्टेट्स, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स रिपोर्ट : जून 2005, यूनाइटेट स्टेट्स, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, वाषिंगटन, डी.सी., 2005

यू.एन.एफ.पी.ए. एन.डी., पापुलेषन इष्यूजः कल्चरः इंडियाः रिस्टोरिंग दी सेक्स रेषो बैलेंस" न्यूयार्कः यू. एन.एफ.पी.ए., वेबसाइट www.unfpa.org/culture/case_studies/India_study.htm पर उपलब्ध।

ह्यूमन राइट्स वॉच, दी वार विदिन दी वारः सेक्सुअल वायलेंस अगेस्ट वीमेन एंड गर्ल्स इन दी इस्टर्न कॉगो, ह्यूमन राइट्स वॉच, न्यूयॉर्क, 2002

कुर्ग ई. एवं अन्य (संपा.), *वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन वायलेंस एंड हैल्थ,* डब्ल्यू.एच.ओ., जेनेवा, 2002

हैजे, एल., एल्सबर्ग एम., गोटमोलर एम., "एंडिंग वायलेंस अगेस्ट वीमेन पापुलेषन रिपोर्ट्स, सीरिज एल. सं. 11 (बाल्टीमोर, मेरीलैण्ड, पापुलेषन इंफार्मेषन प्रोग्राम जॉन हापिकंस यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ), वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन वायलेंस एंड हैल्थ, डब्ल्यू.एच.ओ., जेनेवा, 2002

प्रोग्रेस ऑफ साउथ एषियन वीमेन, यूनीफेम, नई दिल्ली 2005